

दिनांक 30/5/23 का पुरा २५

30/5/23 फसवली पेश हुई। वादी एवं पक्षीवकील
अनु०। सुल्ल वाद अदम घाजरी - अदम केली में
खारिज किया गया है अतः प्राथिक फर का कोई
आवेदन नहीं है। प्राथिक फर-212 भी इसी तरह
खारिज किया जाता है। फसवली कैशाल सुभा
है कर नम्बर से कम है। वाद प्रति वाकिल
दफ्तर है। सुनाया गया।


(अजवर) राज.